प्रेस नोट

दिनांक 05.09.2026

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लोहे का पाइप बरामद-

कार्यवाही—

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के वांछित 01 अभियुक्त श्यामू यादव पुत्र काशीराम यादव, को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लोहे का पाइप बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.09.2026 को वादी काशीराम यादव पुत्र राम आसरे यादव, निवासी टेपरा दुल्लापुर तरहर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गई कि दिनांक 04.09.2026 को समय करीब 07:30 बजे विपक्षी श्यामू यादव पुत्र काशीराम यादव द्वारा राड/लोहे के पाइप से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया गया, जिससे वादी के सिर में गंभीर चोट आई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही की गई। आज दिनांक 05.09.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम बेनीपुरवा चौराहे से अभियुक्त श्यामू यादव को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे का पाइप (फुकनी) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. श्यामू यादव पुत्र काशीराम यादव, निवासी टेपरा दुल्लापुर तरहर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 841/2026, धारा 109(1), 352, 351(3) बीएनएस, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद लोहे का पाइप (फुकनी), घटना में प्रयुक्त।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 निशा निषाद
2. नि0 सन्तशरण यादव
3. हे0का0 रविन्द्र जायसवाल

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांकः 05.09.2026

पुलिस लाइन गोण्डा में श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व

गोण्डा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पुलिस लाइन गोण्डा में श्रद्धा, भक्ति एवं हर्षोल्लास के साथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र, गोण्डा श्री अशोक कुमार एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा विधि-विधान एवं श्रद्धापूर्वक भगवान श्रीकृष्ण का पूजन-अर्चन किया गया। पूजा-अर्चन के दौरान भगवान श्रीकृष्ण से जनपद में शांति, सौहार्द, सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की गई। पूजन के उपरान्त पुलिस लाइन परिसर में आए श्रद्धालुओं एवं उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। इसी क्रम में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी बहुउद्देशीय हाल, पुलिस लाइन गोण्डा में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन, बाल लीलाओं एवं उनके आदर्शों पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। कलाकारों एवं प्रतिभागियों द्वारा दी गई मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया तथा पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा उपस्थित पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजनों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी गईं तथा सभी से भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने एवं समाज में प्रेम, शांति, सौहार्द तथा भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 05.09.2026

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास व रूपये 40,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.06.2022 को थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत एक 11 वर्षीय बालक के साथ दुराचार करने का प्रकरण हुआ था। जिसमें वादी की तहरीर के आधार पर थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना छपिया पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त बब्लू सिंह उर्फ दिनेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

दोषसिद्धि का विवरण-

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना छपिया में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री सुनील मिश्रा व श्री अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0 का0 वंदना व थाना छपिया के पैरोकार का0 राहुल खरवार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 05.09.2026 को दोषी अभियुक्त बब्लू सिंह उर्फ दिनेश सिंह को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) श्री निर्भय प्रकाश द्वारा दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 40,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. बब्लू सिंह उर्फ दिनेश सिंह पुत्र जगप्रसाद नि0 सोहिला थाना छपिया जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 155/2022, धारा 377,504,506 भादवि व 5(एम)/6 पाक्सो एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 05.09.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त को हुई 20 वर्ष का कारावास व रूपये 15,000/- के अर्थदण्ड की सजा-*

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.05.2023 को थाना इटियाथोक क्षेत्रान्तर्गत एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने का प्रकरण संज्ञान में था। जिसमें वादी की तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त मो0 साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

दोषसिद्धि का विवरण-

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना इटियाथोक में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री सुनील मिश्रा व श्री अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0 का0 वंदना व थाना इटियाथोक के पैरोकार का0 शैलेंद्र कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 05.09.2026 को दोषी अभियुक्त मो0 साहिल को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) श्री निर्भय प्रकाश द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कारावास व 15,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. मो0 साहिल पुत्र यार मोहम्मद नि0 पारासराय थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 262/2023, धारा 363,376(झ) भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।